

सम मुकदमा प्रा०पत्र १११-१२४ नं० १५६ सन् २०२३

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---	----------------------------------	--

23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक ४.९.२३ को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल

४९/२३

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन शामिल हेतु शर्त में रजिस्ट्री एडी से पेश किये गये थे । जिसकी एडी भाण्डाफत हुए जिसे शा० प० छिया गया। विपक्षीगण को कितनी मर्तवा आवाजे जिलाधी जागे के बाद भी उपस्थित नहीं । इनके विकल्प एकतरफा कार्यवाही किये जाने के प्रार्थना किये जाते हैं, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर २०० प० छिया गया। पत्रावली फलत शुमार बिक्रमनम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भौलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठारीन अधिकारी-हुकमीवन्द शोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 156/23 उपपत्र

1- श्री गोपालजी श्री गिरधारीवाहाण निवासी-वाहाणो कीसरेडी तहसील

-प्रार्थी

यनाम

1- श्री अविनाश कुमारजी हीरालाल व्यास निवासी-वाहाणो कीसरेडी तहसील (बॉल)
(महोदय प्रपत्र संख्या)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक- 08-09-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1132, 1133 कुल किता 02 रकबा 0.3668 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी/मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04-08-23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अयत्नोक्तनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1132, 1133 कुल किता 02 रकबा 0.3668 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमारन को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा